

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक: प.10(2)शिक्षा-3/2011 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2011

-: आदेश :-

राज्य सरकार द्वारा स्व0 श्री फूल मौहम्मद, पुलिस निरीक्षक, स्व0 श्री प्रकाश सिंह कानि0 2045, स्व0 श्री सोहनलाल रेगर कानि0 1567, स्व0 श्री विजेन्द्र सिंह कानि0 ड्राईवर 253 जिला अजमेर एवं स्व0 श्री निहाल सिंह कानि0 185 के आश्रितों को परि लाभ दिये जाने के संबंध में सक्षम स्तर से निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

“राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु” स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को रुपये 1,800/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति कॉलेज, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चों को रुपये 3,600/- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य सहकारी स्पनिंग एवं जिनिंग मिल्स फेडरेशन लि0 (स्पिनफेड). जयपुर की गंगापुर इकाई के सुरक्षाकर्मी स्व0 श्री दुर्गालाल कीर की पुत्री सुश्री पूजा कीर को मुफ्त शिक्षा दिलवाने का भी निर्णय लिया गया है।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णयों की पालना राज्य के समस्त राजकीय सहशिक्षा/महिला महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित की जावे।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन।
4. शासन उप सचिव, गृह (पुलिस, ग्रुप-2) विभाग।
5. निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय। द्वारा निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा

P.T.O

क्रमांक 23() लेखा/निकाश/वि. छात्र/2011-12/1114-1117/दिनांक 24/10/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को फालगार्थ।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा, (अम-3) विभाग जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प-10(2) शिक्षा-3/2011 पार्ट II जयपुर दिनांक 29/9/2011 के क्रम में सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय, निदेशकलय।
4. श्री देवसिंजी को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

ॐ

संपूर्ण निदेशक (भात्रहरी)
संलग्न विद्यालय
जयपुर